हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019– विभाजन/पुर्नगठनः 61826-832 03 अक्तूबर ~~सितम्बर~~, 2020

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)2/2019–विभाजन/पुर्नगठनः 59887–92 दिनांक 17.09.2020 के अन्तर्गत, जिला कांगडा में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे तथा उपायुक्त कांगडा को इस सम्बन्ध तें आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एंव सुझावों पर उपायुक्त जिला कांगडा की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला कांगडा के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुर्नगठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप–धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला कांगडा के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते है।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2–क) तथा धारा (3–क) के अधीन प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते है कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुर्नगठन विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क सं	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने बाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में शेष ग्रामों के नाम जो वर्तमान ग्राम सभा में ही रहेंगें।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	विकास खण्ड रैतः					
	मून्दला मुख्यावास मूंदला	1 पाहलम 2 मंझग्रां 3 कुठेड़ 4 उपाहु 5 हार 6 मून्दला	मंझग्रा–लदवाडा मुख्यावास लदवाडा	1 कुठेड़ 2 मंझग्रां 3 पाहलम	1 उपाहु 2 हार 3 मून्दला	
2	विकास खण्ड नूरपुरः					
	1 बरण्डा (बरण्डा)	1 बरण्डा 2 पक्का टियाला 3 सुगड़नाल	पक्का टियाला	1 पक्का टियाला 2 सुगड़नाल	1 बरण्डा 2 झागरा दा वन	ग्राम पचांयत बरण्डा से नई ग्राम पंचायत कुट जो कि दिनांक

		4 झागरा दा वन 5 धार 6 कुट				5.9.2020 को अधिसूचित की गई है। ग्राम पंचायत बराण्डा में कुल 6 ग्राव है जिस में से 2 ग्रव नई ग्राम पंचायत कुट में सम्मिलित किए गए है तथा दो गांव से एक और ग्रम पचांयत त पक्का टियाला सृजित की गई है। ग्राम पंचायत पंक्का टियाला बनाने के पश्चात ग्राम पंचायत बराण्डा में केवल 2 गांव रह जाएगें।

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः उपरोक्त– 61826-832 दिनांक 3/10/2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. उपायुक्त कांगडा, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश ।
2. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.
3. जिला पचांयत अधिकारी कांगडा, जिला कांगडा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत/नूरपुर, जिला कांगडा हि0प्र0 ।
5. सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पचांयत, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।

संयुक्त सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।